No.CA-17(44)/2021

7th June, 2021

The General Manager (MO)
Bombay Stock Exchange
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.P. Tower,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

The Asstt. Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Plot No.C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra
(East),
Mumbai-400 051.

Sub: Newspaper Publication of Notice of Board Meeting Date for considering, approving and taking on record the Audited Results for the Quarter/Year ended 31st March, 2021 and consideration of declaration of Final Dividend, if any.

Dear Sir,

Please find attached the copy of newspaper publication intimating the Board meeting date to, inter-alia, consider, approve and take on record, Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter/Year ended 31st March, 2021, and consideration of Final Dividend, if any; published in Business Standard (Hindi and English) on 7th June, 2021.

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Steel Authority of India Limited

(M.B.Balakrishnan) Company Secretary

Encl. As above.

इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली : 110 003, दूरभाष : 011-2436 7481-86, फैक्स : 011-2436 7015, वेबसाईट : www.sail.co.in Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi-110 003, **Phone :** 011-2436 7481-86, **Fax :** 011-2436 7015, **Website :** www.sail.co.in **PAN No. AAACS7062F** Corporate Identity No. L27109DL 1973 GO1006454

Reimburse cost of PPE kits: Ombudsman

The ombudsman

insured could not

be faulted for the

charges levied for

PPE kits, and the

have to reimburse

insurer would

this amount

concluded the



CONSUMER PROTECTION

JEHANGIR B GAI

In recent times, hospitals have been flooded with patients. The cost of treatment has soared due to the need to use expensive medication and the need for the medical and para ☐ medical staff to change their personal protective equipment (PPE) multiple times. Insurance companies attempt to reduce their financial burden by disallowing the for PPE kits were not payable. reimbursement of certain items such as PPE kits and bio□medical waste. In a ombudsman, in his order dated April 30, significant ruling, the insurance 2021, observed that the extra amount ombudsman has granted relief by being billed for PPE kits was due to the asserting

that these expenses have to be reimbursed by the insurer.

Jayaben Shah and her husband Ramniklal were insured under Jio's group medical insurance policy issued by Universal Sompo General Insurance Co. They were

the period April 1, 2020 to March 31, 2021. During the tenure of the policy, both

Jayaben and her husband suffered from tions were held to be in order. Covid 19 She was admitted to Harilal Jaichand Doshi GHS Hospital from Shah's claim, the ombudsman directed October 1, 2020 to October 11, 2020. The cost of treatment came to ₹1,51,239. When a claim was lodged, the insurer merely paid ₹74,393, disallowing the remaining amount of ₹76,846.

also suffered from Covid 19, for which he was admitted to the same hospital from September 25, 2020 to October 7, 2020. The cost of treatment came to ₹1,54,262. When a claim was lodged, the insurer merely paid ₹89,355, disallowing the remaining amount of ₹64.907.

When questioned about the reason for not making full payment, the insurer clarified that the deductions were for proportionate deduction, certain nonpayable items, and co-pay. Feeling aggrieved, Manish Shah, the son of Jayantiben and Ramniklal, filed a complaint before the insurance ombudsman for Mumbai and Goa.

After the complaint was lodged, the insurer agreed to reimburse the component deducted towards co-pay, that is, ₹18.879 in the case of Javaben Shah and ₹26,170 in the case of Ramniklal Shah.

The insurance ombudsman sought clarification about the other deductions. The company clarified that the policy provided for capping of ₹4,000 per day on room rent, so the charges billed in excess of ₹4,000 would not be payable. The insurer also stated that ₹5,500 towards bio-medical waste and ₹10,200

Milind Kharat, the insurance

pandemic. The patient neither had control nor was responsible for this increase in cost. Hence the ombudsman concluded that the insured could not be faulted for the additional charges levied for the use of PPE kits, and held that the amount billed by the hospital would have to be reimbursed by the insurer.

covered for an amount of ₹10 lakh for Similarly, the amount deducted for biomedical waste would also have to be reimbursed. However, the other deduc-

Accordingly, in the case of Javaben the insurer to reimburse ₹10.200 for PPE kits, ₹5,500 for bio-medical waste, and ₹18,879 wrongly deducted towards co-pay. Similarly, in the case of Ramniklal Shah's claim, the ombuds-Similarly, her husband Ramniklal man ordered the insurer to reimburse ₹7,800 for PPE kits, ₹6,500 for bio-medical waste, and ₹26,170 wrongly deducted towards co-pay. A period of 30 days was given for the insurer to comply with the order.

The writer is a consumer activist

New tenancy law does a fine balancing act

It will spur owners to rent out their properties; tenants will enjoy more choices

SANJAY KUMAR SINGH

he Model Tenancy Act received the approval of the Union Cabinet last week. Once states and union territories implement it, the rental housing market will get a regulator at par with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) for the sale-purchase market. The Act aims to ensure that landlords and tenants across the country play by a standard set of equitable rules.

Greater security for landlords

In India, owners of residential properties are reluctant to rent them because the rental yield is low — just 1-2 per cent. Landlords also fear that tenants may not vacate their houses. "Once the Model Tenancy Act is in place, it will give landlords the security to rent out their houses," says Anshuman Magazine, chairman and chief executive officer (CEO), India, South-East Asia, Middle East & Africa, CBRE.

Nowadays, however, landlords have to pay a high monthly maintenance charge in many new apartment complexes. "The Act will enable landlords to transform a non-performing asset into a performing asset," says Magazine.

Its punitive provisions will make it harder for tenants to refuse to vacate. "Landlords can now claim double compensation from their tenant if the latter refuses to hand over the property at the end of the agreed rental period," says Anuj Puri, chairman, ANAROCK Property Consultants. If they don't vacate even after two months, the compensation can rise to four times.

The Model Act defines the procedure for evicting a tenant clearly. "Currently, no standard mechanism exists for landlords to evict unruly or defaulting tenants. The setting up of a Rent Court will also speed up the eviction process," says Altaf Ahmad, chief business officer, rental business, Square Yards.

On the flip side, landlords in many cities may not like the cap on security deposits to two months' rent. The deposit is not just a safeguard against risks like non-payment of rent or dam-



THE RULES OF ENGAGEMENT

- Both landlords and tenants must insist on a rent agreement signed by both the parties
- ■Without it, getting redress from the Rent Authority will not be possible
- Read the rent agreement before signing on the dotted line to avoid unpleasant surprises later
- Landlords should verify tenant's background
- ■This would include getting records of civilian and criminal courts, and address and identity proof checked (many agencies do this)
- ■Tenants should pay rent via digital mode to create a payment trail

age to the property. It also provides a kicker to the landlord's returns. Some experts feel such aspects should have been left to market forces as setting a low cap could disincentivise landlords from renting.

More options for tenants

This Act is expected to benefit tenants by increasing housing supply. Tenants will then have more choices. This could also temper the pace of increase in rental rates. "People who currently live in unorganised colonies will be able to live in better areas," says Magazine.

In case of disputes, the landlord is forbidden from cutting off essential supplies (like water and electricity). The Act also makes it incumbent on landlords to carry out essential repairs.

Tenants will also benefit from the capping of the security deposit to two months of rent. "This will especially benefit students, and young professionals who tend to have limited resources at the start of their careers," savs Puri.

The Act also provides clear guidelines on refund of security deposit. "It says the landlord must return the security deposit on the very day possession of the property is handed back," says Ahmad.

If a dispute arises, the tenant now has the option to stop paying rent to the landlord. He can instead deposit it with the Rent Authority. Once the dispute is resolved, the Authority can transfer the

money to the landlord. Thus, while the tenant will retain bargaining power in a dispute, he will avoid the charge of defaulting on rent.

The provision that adequate notice must be given for rent increase will also provide relief to tenants. "They will have the time to decide whether to continue in the same house or hunt for a new one," says Saurabh Garg, co-founder and chief business officer, NoBroker.com.

Rental housing gets a regulator

The Model Tenancy Act has a provision for setting up a Rent Authority. It will play the role of an adjudicating authority. Landlords and tenants will have to register their rental agreements with the Authority and get a unique ID number. The Authority will ensure that standard terms and conditions are adhered to in the agreement. The agreement will be published on its website. By checking these documents, people will be able to tell whether a property is already occupied.

"Renting will become a more formal and organised activity," says Subhankar Mitra, managing director, advisory services, Colliers India.

The Authority will have the power to act as a dispute resolution mechanism between the landlord and the tenant. "It will be able to step in and give a clear and quick decision in certain types of disputes," says Mitra.

Court for rental disputes

If someone is not satisfied with the Rent Authority's verdict, he will have the option to approach the Rent Court. "In case of major disputes, like eviction, people will have to go to the Rent Court," says Harsh Parikh, partner, Khaitan & Company. If the Rent Court passes an order that either party is not happy with, it can approach the Rent Tribunal within 30 days of passing of the order. "The Rent Tribunal must dispose of the order within 60 days unless there is just cause for taking more time." adds Parikh.

A few lacunae

The Act will not apply retrospectively. 'People who have entered into longer lease agreements will not get its benefit until their current ones expire," says Garg.

The Act only covers lease agreements, and not leave and licence agreements. "Leave and licence is the predominant form of agreement that people enter into in metros like Mumbai," says Parikh. He also adds that having two layers of redress — Rent Court and Rent Tribunal — was uncalled for as one layer would have sufficed.

NMDC Limited (A Government of India Enterprise) Khanij Bhavan, 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad 500 028

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

NMDC Limited intends to replace existing mobile equipment (Stackers, Reclaimer and Wago Loader) for NMDC's Project at BIOM, Bailadila, Chhattisgarh and DIOM, Donimalai, Kamataka NMDC Limited invites Eol from experienced and interested parties who are in the business of Design, Engineering, Manufacture, Supply and Erection & Commissioning of mobil

The Eol document including Eligibility Criteria can be viewed and / or downloaded from NMDC's website http://www.nmdc.co.in, MSTC website https://www.mstce commerce.com/eprochome/nmdc and Central Public Procurement (CPP) portal www.eprocure.gov.in from 07-06-2021 to 22-07-2021. A pre EoI meeting will be held on 23-06-2021 at 11.00 AM through VC. For accessing the Eol documents from NMDC website for the first time; online registration is required as 'New User' in 'Tenders' section at website link http://www.nmdc.co.in/nmdctender/default.aspx of NMDC. For accessing the Eol document at CPP portal www.eprocure.gov.in, click on 'Latest Active Tenders'. Any corrigendum to the above invitation will be uploaded only on NMDC & MSTC website and will not be published. Prospective applicants should visit the above websites from time to time to note the corrigendum, if any

For further clarifications, Dy. General Manager (Materials), NMDC Limited can be contacted on For further clarifications, Dy. General Manager (Madec.co.in Cell No.: 8500667307; email: nvyadagiri@nmdc.co.in Chief General Manager (Materials)



STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise)

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and rements) Regulation, 2015, a meeting of the Board of Directors of Steel Authority of India Limited is scheduled to be held on 10th June, 2021 at New Delhi to inter-alia consider, approve and take on record the Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the Quarter and year ended 31st March, 2021, and may consider the proposa for Declaration of Final Dividend on the Equity Shares of the Company for the Financial Year Notice is also given that the Trading Window for dealing in Securities of Steel Authority of

India Limited has been closed from 1st April, 2021 and shall remain closed till 48 hours after the financial results of the Company for the Quarter ended 31st March, 2021 are announced, for al The Notice is also available on the website of the Company http://www.sail.co.in.and.that.or

BSE Limited (http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (http://www.nseindia.com)

For Steel Authority of India Limited

Place: New Delhi

(M.B. Balakrishnan) Dated: 5th June, 2021 Registered Office: Ispat Bhawan, Lodi Road, New Delhi 110 003

Tel: +91 11 24367481; Fax: +91 11 24367015 There's a little bit of SAIL in everybody's life



NIRLON LIMITED (CIN L17120MH1958PLC011045)

Registered Office: Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai 400 063 Tele No.: + 91 (022) 4028 1919 / 2685 2257 / 58 / 59 Fax No.: + 91 (022) 4028 1940 Email: info@nirlonltd.com, Website: www.nirlonltd.com

NOTICE

Please Notice is hereby given that the Trading Window for dealing in securities under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015:

- i. is closed w. e. f. April 1, 2021 till 48 hours after the declaration of the Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2021 i. e. June 26, 2021; and ii. will be closed w. e. f. July 1, 2021 till 48 hours after the declaration of the
- un-audited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2021. Accordingly, all Officers and Designated Employees (including Directors and

Auditors) of the Company have been intimated not to trade in Equity Shares of the Company during the stated period. By Order of the Board of Directors For Nirlon Limited

> Jasmin K. Bhavsar Company Secretary, V. P. (Legal) & Compliance Officer

यूको बैंक 倒 UCO BANK

Head Office, Finance Department, 3rd Floor, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001

REQUEST FOR QUOTATION UCO Bank invites sealed offer from eligible Bidders for Insuring of

various assets of our bank as per the details given in the RFQ documents on the Bank's website at www.ucobank.com The last date & time for submission of bid is 24.06.2021 up to

Deputy General Manager (Finance)

Honours Your Trust

OSBI

State Bank of India (Constituted under the State Bank of India Act. 1955)

ered Office: Corporate Centre, 14th Floor, Stat Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra. Website: https://bank.sbi | Email: investor.complaints@sbi.co.in

KIND ATTN: SHAREHOLDERS

Despatch of Annual Report 2020 - 21 and 66th Annual General Meeting of the Bank to be held through Video Conferencing / Other

It is hereby informed to the esteemed shareholders of the Bank that the Notice convening the 66th Annual General Meeting (AGM) of the Bank was published on 27th May, 2021 in the Gazette of India and in newspapers having wide circulation as per Regulation 21 of the State Bank of India General Regulations, 1955. The 66th Annual General Meeting is scheduled to be held on Friday, 25th June, 2021, at 03.00 PM at "State Bank Auditorium", State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai 400021 by Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM).

The above Notice and the Annual Report 2020-21 has since been disclosed in the website of the Bank (https://sbi.co.in/web/corporategovernance/annual-report and https://sbi.co.in/web/investorrelations/agm-2015-notice), BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) by 03.06.2021. The Notice is also available on website of NSDL: https://www.evoting.nsdl.com

The business to be transacted at the AGM through voting by electronic means is: to discuss and adopt the Balance Sheet and the Profit and Loss Account of the State Bank of India made up to the 31st day of March 2021, he report of the Central Board on the working and activities of the State Bank of India for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

The remote e-voting period commences on 21st June, 2021 at 10:00 AM IST and ends on 24th June, 2021 at 05:00 PM IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for remote e-voting thereafter. Once the vote is cast by the Shareholder, the Shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Shareholders of the Bank, holding shares either ir $physical \, form \, or \, in \, dematerialized \, form \, as \, on \, the \, cut-off \, date \, as \, provided \,$ in Regulation 31 of SBI General Regulations, 1955 may cast their vote by remote e-voting or on the day of the AGM.

Only those Shareholders, who will be present in the AGM through VC $\ensuremath{\mathrm{AGM}}$ OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM. Shareholders who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of <u>www.evoting.nsdl.com</u> or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav; Assistant Manager / Ms. Pallavi Mhatre, Manager at <u>evoting@nsdl.co.in</u> / Address: Trade World, A Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013.

In view of the continuing COVID 19 pandemic, SEBI vide their Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No.: SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 has provided relaxations to all listed entities in relation to compliance of provisions of Regulation 36 (1) (b) and (c) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, which prescribes, requirement of sending physical copies of annual report to the shareholders. Accordingly, the Annual Report 2020 – 21 of the Bank and the Notice convening 66th Annual General Meeting has been sent by email on 04.06.2021 to those shareholders whose e-mail id is registered

For State Bank of India

07.06.2021

Mumbai.

Asst. General Manager (Compliance & Company Secretary) 7th June 2021

G-RIDE CIN:U74999GJ2017SGC095040 7th Floor, Block 06, Udyog Bhavan,

A JV of Govt. of Gujarat & Ministry of Railways Gandhinagar-382011. Ph: 079-23232728/29.

FOR ENVIRONMENT AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY FOR AHMEDABAD RAJKOT SEMI HIGH SPEED RAIL SYSTEM (225 Kms) Guiarat Rail Infrastructure Development Corporation (G-RIDE), invite Expression of Interest seeking interest from consultants with proven experience in Environment and Social Impact Assessment Study for rious projects funded by multilateral financing agencies (World Bank, Asian Development Bank, etc.) in India.

Last Date of Submission - 6th July, 2021

Last Date of Submission - Outjury, 2021.
For further details, please visit www.gride.org.in Sd/Director (Project & Planning)

EIH Associated Hotels Limited

A MEMBER OF THE OBEROI GROUP
Registered Office: 1/24, G.S.T. Road, Meenambakkam, Chennai-600 027 elephone: 91-44-2234 4747, Facsimile: 91-44-2234 6699, 91-44-2234 4985 Investors Services Division: 7. Sham Nath Marg. Delhi-110054 Telephone: 91-11-2389 0505, Facsimile: 91-11-23890575 Website: www.eihassociatedhotels.in

Email: isdho@oberoigroup.com; invcom@tridenthotels.com CIN: L92490TN1983PLC009903

ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that: (a) The 38th Annual General Meeting ('AGM') of FIH Associated Hotels Limited ('the Company') is scheduled to be held on Tuesday, 27th July 2021 at 4.30 p.m. IST through Video Conferencing ('VC')/ Other Audio Visual Means ('OAVM') facility to transact the

businesses as set forth in the notice of AGM. (b) In view of the outbreak of the COVID-19 pandemic and restrictions imposed on the movement of people, the Ministry of Corporate Affairs has vide its circulars dated 08th April 2020, 13th April 2020, 21st April 2020,05th May 2020, 15th June 2020 and 13th January 2021 ('Circulars') permitted the holding of the AGM through VC/OAVM at a common venue without the physical presence of the Members. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act'), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations') and the circulars, the 38th AGM of the Company is being held through VC/OAVM.The Members can attend and participate at the 38th AGM through VC/OAVM.

c) The Company has facilitated the Members to participate at the 38th AGM through the VC facility provided by KFin Technologies Private Limited ("KFIN").

(d) In accordance with the aforesaid circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 will be sent within the statutory time limit, only by electronic mode, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/ depositories. Members may note that the notice of AGM along with the Annual Report will be made available on Company's website www.eihassociatedhotels.in, website of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of KFIN https://evoting.karvy.com.

e) Pursuant to Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meetings, the Company is pleased to provide to its Members with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (remote e-voting and voting during AGM) and has engaged the services of KFIN to facilitate voting through electronic voting system. Detailed procedure of remote e-voting and voting at the AGM will be part of the AGM Notice.

For receipt of AGM Notice and Annual Report by electronic mode (e-mail), shareholders holding shares in physical mode who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company and wish to register/update may contact/ write to the Company's Share Transfer Agent, viz. EIH Limited, Investors Services Division, by e-mail at isdho@oberoigroup.com or invcom@tridenthotels.com. Shareholders holding shares in dematerialized mode may contact/ write to their Depository Participant to register/ update their e-mail addresses. For EIH Associated Hotels Limited

Indrani Ray Company Secretary

ADC India Communications Ltd.

CIN: L32209KA1988PLC009313

Regd. Office: No.10C, 2nd Phase, 1st Main, Peenya Industrial Area, Bangalore-560058 Tel:+91 80 28396102 / 28396291 E-mail: support@adckcl.com Website: www.adckcl.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Transfer of Equity Shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) This Notice is published pursuant to the provisions of Investor Education

and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ("the Rules"). In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013

corresponding to the dividend declared for the financial year 2013-14 in respect to which the shareholder has not claimed dividend for seven consecutive years from the said financial year to Investor Education and Protection Fund (IEPF) on September 14, 2021. Complying with the requirements set out in the said Rules, the Company has through its Registrar and Share Transfer Agents, M/s. KFin Technologies Private Limited, communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF for taking appropriate

Details of shareholders whose shares are due for transfer to IEPE has been uploaded on the Company's website at www.adckcl.com Shareholders are requested to refer to the section Investor Relations/unclaimed Dividend Details/IEPF on the website to verify the details of uncashed dividends and shares liable to be transferred to IEPF. Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may note that the Company would be issuing duplicate share certificates in lieu of the original held by them for transfer of shares to IEPF as per the said Rules and upon such issue, the original share certificates which are registered in their name will stand automatically cancelled and become non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificates by the Company for transfer of physical shares to IEPF pursuant to the said Rules. In case of shares held in Demat Form, the transfer would be affected by issuance of necessary instruction to the depository to transfer the shares directly to IEPF.

In case the Company / M/s. KFin Technologies Private Limited does not receive any communication from the concerned shareholders to claim the unpaid dividends by September 10, 2021, the Company shall with a view to comply with the requirements of the said Rules, transfer the shares to IEPF as per the procedure stipulated in the said Rules without any further notice to the shareholders. The shareholders may note that once the unclaimed dividend amount and shares transferred to the IEPF no claim shall lie against the Company in respect thereof pursuant to the said Rules. The concerned shareholders are further requested to note that all future benefits arising on such shares would also be transferred to

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5 to the Nodal Officer of the Company.

For further information/clarification/assistance on the above matter, concerned shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agents, Ms. Sheetal Doba, Manager-Corporate Registry, KFin Technologies Private Limited. Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad-500032. Tel: +91-40-67161509 email ID: sheetal.doba@kfintech.com or einward.ris@kfintech.com.

For ADC India Communications Ltd

Place : Bangalore Date: June 07, 2021

R.Ganesh Company Secretary

कृषि क्षेत्र पर कोविड की दूसरी लहर का असर नहीं : रमेश चंद

नीति आयोग के सदस्य (कृषि) रमेश चंद का मानना है कि कोविड-19 की दूसरी लहर से देश के कृषि क्षेत्र पर किसी तरह का कोई प्रतिकल असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण मई में फैला है, उस समय कृषि से संबंधित गतिविधियां बहुत कम

होती हैं। कृषि क्षेत्र की वृद्धि के बारे में चंद ने कहा कि 2021-22 में क्षेत्र की वृद्धि दर 3 प्रतिशत से अधिक रहेगी। बीते वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6 प्रतिशत रही थी।

प्रौद्योगिकी पर भारत की नीति बहुत ज्यादा

जो बढ़ाए

की रफ्तार

SMS reachbs

to 57575

or email

order@bsmail.in

Business Standard

Insight Out

आपकी तरक्की

चावल, गेहूं और गन्ने के पक्ष में झुकी हुई है। नीति आयोग के सदस्य ने कहा, 'ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 संक्रमण मई में फैलना शुरू हुआ था। मई में कृषि गतिविधियां काफी चंद ने कहा कि अभी सब्सिडी, मूल्य और सीमित रहती हैं। विशेष रूप से कृषि जमीन से



स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

सेबी (सनीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम २०१५ के संगत पावधानों के अनुसार एतददारा सनिव किया जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक नई दिल्ली दिनांक 10 जून, 2021 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ–साथ कंपनी के 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के अंकेक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार अनुमोदन और उन्हें रिकॉर्डबद्ध किया जाएगा, और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

यह भी सचित किया जाता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड की सिक्योरिटीज में लेन—दे वाली टेडिंग विंडो को 1 अप्रैल 2021 से बंद कर दिया गया है और 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणाम घोषित होने के बाद सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के लिए 48 घंटे तक बं

यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट http://www.sail.co.in और बीएसई लिमिटेड (http://www.bseindia.com) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंग्डिया लिमिटेड (http://www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

> निदेशक मंडल के आदेश से जारी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 फोन : +91 11 24367481; फैक्स : +91 11 24367015

हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

		न प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अंतर्गत] टेंड के हितधारकों के ध्यानार्थ हेतु	
सं. नं.	विवरण	ब्यौ रे	
1.	कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम	प्यूसिबल मेटल्स प्राईवेट लिमिटे	
2.	कॉर्पोरेट देनदार के गठन की तिथि	30/01/2015	
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार पंजीकृत है	कंपनी रजिस्ट्रार दिल्ली, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	
4.	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	U51909DL2015PTC276166	
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय : एच. नं. 222ई, फर्स्ट फ्लोर, ऑपोजिट बरात घर, मेन मार्किट, बदरपुर, नई दिल्ली—11004	
6.	दिवाला समाधान प्रक्रिया बंद होने की तिथि	04.06.2021 [माननीय एनसीएलटी द्वारा परिसमापन का आदेश पारित होने तक]	
7.	कॉर्पोरेट देनदार के संबंध में समापन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि	04.06.2021	
8.	परिसमापक के रुप में कार्य करने वाले दिवाला पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	नाम ः सुधांशु गुप्ता पंजीकरण संख्या ः IBBI/IPA-002/IP-N00216/2017- 18/10668	
9.	परिसमापक का पता और ई–मेल, जो बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है	पता: 311, अग्रवाल चेम्बर 2, प्लॉट नं. 30, 31 वीर सावरकर ब्लॉक, ऑपोजिट मैट्रो पिलर नं. 58, शकरपु ईस्ट दिल्ली, दिल्ली —110092 ई मेंल आई डी: sg_1973@rediffmail.com	
10.	परिसमापक से साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई—मेल	पत्राचार का पता : 311, अग्रवाल चेम्बर 2,	

04.07.2021 ... एतदद्वारा सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण बेंच, VI ने **पयूसिबल मेटल्स प्राईवेट** लिमिटेड को 04 जून, 2021 को समापन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है।

पयूत्तिबल मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड के सभी हितधारको को आइटम नंबर 10 के सामने उल्लिखित किये पते पर सबूत सहित अपने दावों को परिसमापक के पास **04 जुलाई, 2021,** तक या उससे पूर्व जमा करने की अपक्षा की जाती है।

वित्तीय लेनदार को सबुत सहित अपने दावों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से जमा करना होगा अन्य सभी हितधारको व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलैक्ट्रॉनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण जमा कर

दावों के झठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

दिनांक : 06 जून 2021

हस्ताक्षार/ सुधांशु गुप्ता परिसमापक

फ्यूसिबल मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले ਧਾਂਜੀਨਵਾ ਦਾਂ · IRRI/IPA-002/IP-N00216/2017-18/10668 1 स. . IBBINPA-0021P-100021672017-16/10666 311, अग्रवाल चेम्बर 2, प्लॉट नं. 30, 31 वीर सावरकर ब्लॉक, ऑपोजिट मैट्रो पिलर नं. 58, शकरपुर ईस्ट दिल्ली, दिल्ली —110092 (इंडिया) **ई मेल** : sg_1973@rediffmail.com

punjab national bank पंजाब मैशनल बैंक

दिनांक 19.03.2020 को प्रधान कार्यालय में आयोजित कार्यवाही के अनुसार जान–बूझकर चूककर्ताओं की घोषणा के लिए समीक्षा समिति का आदेश

विआनेक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (बकाया शेष 61.78 करोड रूपर एनपीए दिनांक : 26.09.2016) शाखा :- मोहन नगर, गाजियाबाद जेडओ : दिल्ली

आरबीआई मेटर परिपत्र सं. डीबीआर.एनओ.सीआईडी.बीसी. 22/20.16. 003/2015–16 के संदर्भ में दिनांकित 01 जुलाई, 2015 को बैंक के जान-बूझकर चूककर्ताओं की पहचान के लिए समिति की बैठक दिनांक 09.07.2019 को आयोजित की गई थी। पहचान समिति ने निष्कर निकाला कि उधारकर्ताओं के खाते(ओं) में जान—बूझकर चूक की घटनाएं हुई थीं और निम्नलिखित जान–बूझकर चूककर्ता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के लि

- 1. मेसर्स विआनेक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, उधारकर्ता (CIN-U74899DL1995 PTC071191)
- 2. श्री. राजीव आनंद, पूर्णकालिक निदेशक, DIN-01274045
- 3. श्री. संदीप आनंद, पूर्णकालिक निदेशक, DIN-00964163
- 4. श्री. संजीव आनंद, पूर्णकालिक निदेशक, DIN-00996029

तदनुसार, उपरोक्त उधारकर्ता मेसर्स विआनेक्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके पूर्णकालिक निदेशकों सह गारंटरों को दिनांक 20.07.2019 को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किय गया था, जो उधारकर्ता के मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं और चक की घटनाओं में भी शामित हैं। उन्हें सूचित किया गया था कि यदि वे ऐसा चाहते हैं, तो वे नोटिस प्राप्त होने से 15 दिनों के भीत बैंक को प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि उन्हें जान—बझकर चककर्ता के रूप में वर्गीकत क्यों नहीं किया जाए उक्त कारण बताओं नोटिस की सेवा के बावजूद उपरोंक्त व्यक्तियों द्वारा कोई उत्तर/प्रत्यावेदन नहीं

पहचान समिति ने दिनांक 07.10.2019 को हुई बैठक में, अभिलिखित तथ्यों पर उचित विचार करने के बाद यह पाया कि उधारकर्ता और उसके गोरंटर बैंक को भुगतान/पुनर्मुगतान दायित्वों में चूक गए और उपरोक्त व्यक्तियों, जो चूक की प्रसंग(ओं) में शामिल हैं, आरबीआई के उपरोक्त मास्टर परिपत्र में उल्लेखित निम्नलिखित आधारों पर जान-बुझकर चुककर्ताओं के रूप में पहचाने जाने व

भुगतान करने की क्षमता : सीआर दिनांक 18.05.2016 के अनुसार संवर्धकों यानी राजीव आनंद संजीव आनंद और संदीप आनंद की कुल नेटवर्थ 8.62 करोड़ रुपये है, जो नीचे दी गई है।

व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट	नाम	कुल धन/कुल मूल्य	सीआर की दिनांक
व्यक्तिगत	राजीव आनंद	2.26 करोड़	18.05.2016
व्यक्तिगत	संजीव आनंद	2.76 करोड़	18.05.2016
व्यक्तिगत	संदीप आनंद	3.60 करोड़	18.05.2016
सकल कुल		8.62 करोड़	

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि पर्याप्त साधन होने के बावजूद उधारकर्ता /गारंटर बैंक बकाया

<u>जान–बुझकर चुककर्ताओं की पहचान के लिए समिति के आदेश :</u>

बैंक के कार्यकारी निदेशक और महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली पहचान समिति ने पाया कि उपरोत्त घटनाओं में शामिल उधारकर्ता और उसके उपरोक्त नामित पूर्णकालिक निदेशक सह गारंटर वे रिवलाफ आरोप उपरोक्त घटनाओं में शामिल हैं और ऊपर बताए गए कारणों और तथ्यों के लि साबित हुए और कारण बताओं नोटिस के विरुद्ध उक्त व्यक्तियों से कोई भी प्रतिनिधित्व/उत्तर प्रार नहीं हुऑ, आरोपों का खंडन किया गया।

इसलिए, उक्त समिति ने क्रमांक संख्या 1 से 4 में उल्लेखित उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा किए ग जान–बूझकर चूक के तथ्य को दर्ज किया और उपर उल्लेखित ठोस कारणों से उन्हें जान–बूझे चुककर्ता के रूप में पहचाना। हालांकि, समिति के सदस्यों ने निर्देश दिया कि उधारकर्ता और उसके ु उपरोक्त नामित पूर्णकालिक निदेशक पहचान समिति के आदेश के विरुद्ध लिखित प्रतिनिधित्व कर के लिए स्वतंत्र हैं, इस आदेश की प्राप्ति की दिनांक से 15 दिनों की अवधि के भीतर बैंक के एमडी और सीईओ की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति को निम्नलिखित पते पर :

पंजाब नेशनल बैंक, सास्त्र विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, तीसरी मंजिल, प्लॉट सं. 4 सेक्टर 10 द्वारका. नई दिल्ली. पिन : 110075. बैंक के जान—बझकर चककर्ताओं की पहचान के लिए समित्रि के आदेश की सेवा के बावजूद, उधारकर्ता और उपरोक्त नामित व्यक्तियों से कोई प्रतिनिधित्व प्राह नहीं हुआ, जिसका उल्लेख क्रमांक संख्या 1 से 4 में किया गया था।

जान-बुझकर चूककर्ताओं की घोषणा के लिए समीक्षा समिति का आदेश :

बैंक के अधोहस्ताक्षरी एमडी और सीईओ और बैंक के निदेशकों की अध्यक्षता में समीक्षा समिवि सदस्य के रूप में. उपरोक्त तथ्यों और अभिलेखों पर साक्ष्यों पर उचित विचार करने के बाद पाया गय कि शीर्षक वाले उधारकर्ता और उसके उपरोक्त पर्णकालिक निदेशक सह गारंटर, जिनका उल्लेर क्रमांक संख्या 1 से 4 पर किया गया है , जान–बूझकर चूक के उपरोक्त घटना(ऑ) के लिए उत्तरदायी हैं , जो आरबीआई के दिशा–निर्देशों/मास्टर परिपन्न संख्या डीबीआर एनओ सीआईडी. बीसी 22/20 16 003/2015—16 दिनांकित 01.07 2015 के अनरूप जारी किए गए मौजद बैंक दिशा—निर्देशों के संदर्भ में ''जान—बूझकर चूककर्ता'' घोषित किए जाने के ठोस आधार(ओं) क

तवनुसार, समीक्षा समिति ने दिनांक 19.03.2020 को हुई अपनी बैठक में पहचान समिति वे आदेश पर सहमति व्यक्त की ओर ऊपर उल्लेखित कारण(आ) के लिए क्रमांक संख्या 1,2,3 और 4 में उल्लेखित व्यक्तियों को जान–बूझकर चूककर्ता रूप में घोषित किया। प्रति पंजाब नेशनल बैंक

जान–बुझकर चूककर्ता की घोषणा के लिए समीक्षा समिति

PUBLIC NOTICE Original perpetual lease deed no. 24490 Dt. 15.12.2008 (F28 (248)06/CL) register with Sub Registrar via Delhi/New Delhi for Plot no. 403, Pocket- C, IFC, Gazipur, Delhi issued by DDA in favour of Shobha Cards & Arts, 3618/7, Sudershan Market, Chawri Bazar, Delhi-06 have been lost/ misplaced. If anybody found, please contact: 011-49124125

प्रपत्र सं. आईएनसी-19

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के अनुसरण में]

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स गौरी शिक्षा फाउण्डेशन द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 की उप—धारा (4) के क्लॉज (ii के अनुसरण में, व्यवसाय के विस्तार के कारण धारा 8 के तहत पंजीकृत कम्पनी को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित करने वे संबंध में अपना लाइसेन्स सौंपने हेतु एक आवेदन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

पस्तावित कम्पनी के पारूप जापन और अंतर्नियमों की प्रति 250, अग्रवाल कोंडली प्लाजा, प्लॉट नंबर 08, एलएससी–1, कोंडली घडोली, मयुर विहार फेज-3, नई दिल्ली 110096 में देखी जा सकती है।

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई भी जिसको इस आवेदन पर आपत्ति है अपनी आपत्ति की सूचना माननीय क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ दिन के भीतर, माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट मंत्रालय, बी-2 विंग दितीय तल पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 को संबोधित पत्र द्वारा दे सकता है।

वास्ते गौरी शिक्षा फाउण्डेशन मुकेश शर्मा

तेथि : 05.06.2021 थान : नई दिल्ली

श्री अरुण गोयनका (कर्जदार) आरएच-2/एन4, सेक्टर 9, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई **श्री सुनील कुमार, जमानती पुत्र श्री कृष्णपाल,** 306, सेक्टर-15, वसुन्धरा, गाजियांबाद 3. मैसर्स बालाजी हाई-टेक कंस्ट्रव्यान्स प्रा.लि., जमानती, डी-3, विवेक विहार, दिल्ली-110095 प्रिय श्रीमान

विषय : पीएनबी शाखा कार्यालय : वसुन्धरा के साथ श्री अरुण गोयनका के ऋण खाते में ''इरादतन'' चूक की पहचान हेतु कारण बताओ सूचना। कपया बैंक द्वारा जारी हमारी सचना दिनांक 05.04.2016 का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा शीर्षांकित

ऋण खाते में इरादतन चक की देखी गयी घटना(एँ) इंगित की गयीं और जिसके माध्यम से चूक/कों के सुधार हेतु कथित सूचना की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर का समय दिया। किन्त आप इस विषय में कोई कार्यवाही करने में असफल रहे/अवहेलना की।

मामले के तथ्यों को भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार इरादतन चुककर्ताओं की पहचान हेत् इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने मामले के तथ्यों तथा रिकार्ड किये गये प्रमाणो पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला कि खाते में चुक/कों के मामले हुए हैं जो कि इरादतन हैं और निम्नलिखित कारण के साथ-साथ आपको 'इरादेतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त हैं :

भुगतान की क्षमता : श्री गोयनका के आईटीआर 2013-14 के अनुसार कुल आय रु. 0.12 करोड़ है। आवेदन प्रपत्र के अनसार कर्जदार का निवल साधन रु. 1.53 करोड़ है।

यदि आप ''सिमिति'' के उपर्युक्त निष्कर्ष से असन्तुष्ट हैं तो आप यदि आप चाहते हैं तो आ सिमिति के पास विचार हेतु प्रस्तुति/प्रतिनिधान कर सकते हैं और कारण बता सकते हैं कि आपको 'इरादतन चूककर्ता'' के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। आपकी प्रस्तुति/प्रतिनिधान इसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर हमारे पास पहुँच जाना चाहिए और इसे या दो उपमहाप्रबंधक, सस्त्र डिवीजन, तीसरी मंजिल, ईस्ट विंग, पंजाब नैशनल बैंक, मख्य कार्यालय, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को या शाखा प्रबंधक. वसन्धरा के माध्यम से भेजना होगा।

यदि हमें आपकी कोई प्रस्तुति/प्रतिनिधान नहीं प्राप्त होता है तो यह माना जायेगा कि इस समिति के निष्कर्ष के विरुद्ध आपको अपने बचाव में कुछ कहने के लिए नहीं है।

कृपया ध्यान दें कि कारण बताओ सूचना के प्रत्युत्तर में आपके उत्तर की प्रस्तुति/गैर-प्रस्तुति के . अनुसार सिमति भा.रि.बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ता की घोषणा से सम्बन्धित अदेश पारित करने की कार्यवाही करेगी।

मुख्य प्रबंधक द्वारा जारी कारण बताओ सूचना दिनांक 12.07.2019 तथा उपर्युक्त कथित सूचना के आधार पर भावी कार्यवाही वापस ली जाती है।

कृते पंजाब नैशनल बैंक

इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति के सदस्य

punjab national ban पंजाब मैशनल बैंक्

कार्यालय पर 13.12.2019 को संचालित की घोषणा हेतु समीक्षा समिति का आदेश

खाता : श्री कैलाश कुमार रंगा (बकाया राशि रु. 0.71 करोड़, एनपीए तिथि : 31.12.2015), शाखा : वसुन्धरा, गाजियाबाद, अंचल कार्यालय : दिल्ली

आरबीआई मास्टर परिपत्र सं. डीबीआर. नं. सीआईडी बीसी. 22/20, 16.003/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015 के सन्दर्भ में बैंक के इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति की बैठक 26.06.2019 को आयोजित की गयी थी। पहचान समिति ने निष्कर्ष निकाला कि कर्जदार के खाते(तों) में इरादतन चूक की स्थितियां उत्पन्न हुई है और इसने निम्नलिखित व्यक्ति को इरादतन चुककर्ता के रूप में चिन्हित करते हुए कारण बताओ के निर्गमन हेतु अपना अनुमोदन प्रदान किया है :

श्री कैलाश कुमार रंगा

तदनुसार, इरादतन चूककर्ता की घटनाओं हेतु उत्तरदायी उपर्युक्त कर्जदार श्री कैलाश कुमार रंगा को 15 दिवसीय कारण बताओ सूचना 15.07.2019 को जारी की गयी। उन्हें सूचित किया गया था कि यदि वे चाहें तो इस सुचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर बैंक के पास अपना प्रतिनिधान कर सकते हैं कि उन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाये। कथित कारण बताओ सूचना(ओं) की सर्विस के बावजूद उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई उत्तर/प्रतिनिधान नहीं प्रस्तत किया गया।

पहचान समिति ने 07.10.2019 को आयोजित अपनी बैठक में रिकार्ड तथ्यों पर भली प्रकार विचार करने के उपरान्त पाया कि कर्जदार ने बैंक को भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों में चूक की है और चुक के मामले में शामिल कथित व्यक्ति भा.रि.बैंक के उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में निर्दिष्ट निम्नलिखित आधारों पर इरादतन चूककर्ता के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयुक्त हैं। भगतान की क्षमता : आईटीआर 2013-14 तथा 2014-15 के अनसार श्री कैलाश कमार रंग

की कुल आय क्रमशः रु. 0.11 करोड़ तथा रु. 0.13 करोड थी। सीआर दिनांक 12.01.2015 के अनुसार कर्जदार का निवल साधन रु. 2.34 करोड़ है। इससे स्पष्ट है कि कर्जदार के पास भुगतान की क्षमता है किन्तु उसने बैंक को ऋण का भुगतान नहीं किया।

इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति का आदेश : अधिशासी निदेशक के नेतृत्व वाली पहचान समिति तथा बैंक के महाप्रबन्धक ने पाया कि कर्जदार के विरुद्ध अभियोग के कारण और उपर्युक्त तथ्य सिद्ध हैं और कथित व्यक्ति से अभियोगों का खण्डन करने वाले कोई प्रतिनिधान/उत्तर नहीं प्राप्त हुआ।

अतः कथित समिति ने उपर्युक्त कर्जदार द्वारा इरादतन चुक के तथ्य को रिकार्ड किया तथा उसे उपर्यक्त होस कारणों से उसे ''इरादतन चककर्ता'' के रूप में चिन्हित किया। फिर भी, समिति के मदस्यों ने निर्देश दिया कि इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर कर्जदार पहचान सिमति के आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित पते पर बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व वाली समीक्षा समिति के पास लिखित प्रतिनिधान भेज सकता है : पंजाब नैशनल बैंक, सस्त्र डिवीजन, कॉर्पोरेट कार्यालय, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, पिन-110075. बैंक के इरादतन चूककर्ता की पहचान हेतु समिति के आदेश की सर्विस के बावजूद कर्जदार से कोई प्रतिनिधान नहीं प्राप्त हुआ।

इरादतन चूककर्ताओं की घोषणा हेतु समीक्षा समिति का आदेश

बैंक के प्रबंध निदेशक तथा मख्य अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता एवं सदस्यों के रूप में बैंक के निदेशकों वाली समीक्षा समिति ने रिकार्ड किये गये उपर्यक्त तथ्यों एवं प्रमाण पर विधिवत विचार करने के उपरान्त पाया कि शीर्पांकित कर्जदार इरादतन चूक के उपर्युक्त मामले(लों) के लिए उत्तरदायी है, जो भा.रि.बैंक के दिशा-निर्देशों/मास्टर परिपत्र सं. डीबीआर. नं. सीआईडी बीसी. 22/20, 16.003/2015-16 दिनांक 1.7.2015 के अनुसार बैंक के माजूदा दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में 'इरादतन चूककर्ता' होने का ठोस आधार निर्मित करता है।

तदनुसार, समीक्षा समिति ने 13.12.2029 को आयोजित अपनी बैठक में पहचान समिति के आदेश का अनुपालन किया और उपर्युक्त कर्जदार श्री कैलाश कुमार रंगा को उपर्युक्त कारणों से ''इरादतन चककर्ता घोषित करती है।''

कृते पंजाब नैशनल बैंक इरादतन चूककर्ता की घोषणा हेतु समीक्षा समिति

कर करार से भारत को होगा लाभ

नई दिल्ली, 6 जून

∙श्विक स्तर पर न्युनतम कॉरपोरेट कर की दर को 15 प्रतिशत पर रखने के करार से भारत को फायदा होगा। दुनिया के अमीर देशों के बीच शनिवार को इस आशय का समझौता हुआ है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि

भारत में घरेल कर की प्रभावी दर इस सीमा से ऊंची है। इससे भारत निवेश आकर्षित करता रहेगा। जी-7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान ने शनिवार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कराधान को लेकर ऐतिहासिक समझौता किया है। इसके तहत न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15 प्रतिशत रहेगी।

नांगिया एंडरसन इंडिया के

7 देशों ने किया है कराधान पर समझौता



 अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर की दर न्युनतम १५ प्रतिशत रखने को लेकर किया समझौता

 भारत को निवेश आकर्षित करने के लिए कर की दर को निचले स्तर पर रखने में आती थी मुश्किल

चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा कि जी-7 का वैश्विक न्युनतम कर की दर को 15 प्रतिशत पर रखने के फैसले से अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देशों को फायदा होगा। हालांकि, कुछ निचले कर वाले यूरोपीय देश मसलन नीदरलैंड, आयरलैंड और लक्जमबर्ग और कुछ कैरिबियाई देश बहराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कर की दर पर निर्भर करते हैं।

परामर्शक कंपनी ग्लोबल के कर भागीदार अमित माहेश्वरी ने कहा कि भारत को इस फैसले से फायदा होगा क्योंकि यह प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए एक बडा बाजार है।

ईवाई इंडिया के नैशनल टैक्स लीडर सुधीर कपाडिया ने कहा कि वैश्विक कॉरपोरेट कर करार ऐतिहासिक है। विशेष रूप से इससे भारत जैसे बड़े और विकासशील देश को फायदा होगा। भारत के लिए हमेशा से देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट कर की दर को कृत्रिम रूप से निचले स्तर पर रखना मुश्किल होता था। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के महासचिव मैथायस कॉरमैन ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि जी-7 के वित्त मंत्रियों के बीच सहमति विशेष रूप से वैश्विक कराधान के न्यूनतम स्तर पर करार एक ऐतिहासिक कदम है। इससे आगे अंतरराष्ट्रीय कर प्रणाली में सुधार में मदद मिलेगी।

कार्यालय डेवलपरों को दोहरी चुनौती

राघवेंद्र कामत मुंबई, 6 जून

कार्यालय डमारतों डेवलपर/मालिकों को इस साल दोहरी चनौती का सामना करना पड सकता है। इस साल उन्हें कार्यालय के लिए जगह की कमजोर मांग और नवीनीकरण के लिए आने वाले जगहों को भरने की चुनौती से एक साथ जुझना

विश्लेषकों ने कहा कि महामारी के लंबा खिंचने से घर से काम करने का चलन बढ़ गया है जिसके कारण उनके सामने में बड़ी चुनौती आने की आंशका है।

रेटिंग्स कंपनी इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक घर से काम करने की संस्कृति के कारण नकारात्मक मांग सृजित हुई है साथ ही अर्थव्यवस्था के कमजोर पडने और घर से काम करने के चलन के कारण नई पट्टा गतिविधियों में कमी आई है। इन कारणों से अगले कुछ वर्षों तक वार्षिक मांग में 40 फीसदी की कमी आ सकती है जिससे वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2023 तक खाली



 कार्यालय की जगह की कमजोर मांग और नवीनीकरण को लेकर आएंगी चुनौतियां

 महामारी के कारण घर से काम करने का चलन बढ़ा, जिससे मांग पर पड़ सकता

जगहों के स्तरों पर 500 आधार अंक से अधिक की वृद्धि होगी।

रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'चूंकि नए कार्यालय स्थल प्रदाताओं को अपनी आगामी संपत्तियों को किराये पर देने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है ऐसे में उनपर असर काफी अधिक होगा। इंडिया रेटिंग्स को इस बता की चिंता है कि वित्त वर्ष 2021 में कुछ बडे सुचीबद्ध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और

कार्यालय रियल एस्टेट कंपनियों द्वारा खाली जगह को भरने के स्तरों में तीव्र गिरावट की की बात कमजोर अर्थव्यवस्था और घर से काम करने के चलन का परिणाम हो सकता है। एंबेसी आरईआईटी के पास

पट्टा पोर्टफोलियो 3.23 करोड वर्गफुट है। मार्च के अंत तक इसके खाली जगह का स्तर 88.9 फीसदी था जो एक वर्ष पहले के मुकाबले 390 आधार अंक नीचे है। माइंडस्पेस आरईआईटी के लिए 2.39 करोड वर्गफुट के तैयार संपत्ति आधार पर दिसंबर तिमाही में खाली स्थान का स्तर 350 आधार अंक नीचे जाकर 81.8 फीसदी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में इक्विटी शोध के उपाध्यक्ष आदिदेव चट्टोपाध्याय मताबिक आरईआईटी पोर्टफोलियो में जो चार से छह फीसदी की कमी आई है वह घर

से काम करने की व्यवस्था के

जारी रहने और कोविड की दूसरी

लहर के कारण है जिसने पटटा पर

संपत्ति लेने वालों के निर्णयों को

इस्पात के बढ़ते दाम पर प्रधानमंत्री करें हस्तक्षेप

मझोले एवं लघु (एमएसएमई) इंजीनियरिंग निर्यातकों ने इस्पात की बढ़ती कीमतों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की अपील की है। इन निर्यातकों का कहना है कि उद्योग को अलॉय और अन्य सामान उचित मूल्य पर चाहिए जिससे वैश्विक बाजारों में मुल्यवर्धित उत्पादों की निर्यात प्रतिस्पर्धा को कायम रखा जा सके। लुधियाना हैंड ट्रल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एससी राल्हन ने कहा कि कई प्रतिद्वंद्वी देश विशेष रूप से चीन आदि विनिर्माण इकाइयों को इस्पात और अन्य सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर समर्थन देते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत धीरे-धीरे मूल्य वर्धित उत्पाद खंड में चीन से अपना बाजार गंवा रहा है। निर्यात में हालिया वृद्धि की वजह धातु और अन्य जिंसों की कीमतों में बढ़ोतरी है। उन्होंने कहा कि तैयार इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है।

बीएस बातचीत

पीएनबी को 6,000 करोड़ रु के कर्ज पुनर्गटन की उम्मीद

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक की पुनर्गठन सुविधा-२ के तहत ५,००० से 6,000 करोड़ रुपये के कर्ज का पुनर्गठन होगा। बैंक के प्रमुख **एसएस मल्लिकार्जुन**

राव ने निकुंज ओहरी और अभिजित लेले से बातचीत में कहा कि कोविड-19 का असर कम होने पर दूसरी

कितनी गंभीर है? इसका वित्त बेहतर होगा। हम उम्मीद कर रहे वर्ष 21 की पहली तिमाही पर हैं कि पुनर्गठन-2 के तहत 5,000 कितना असर पडने जा रहा है? करोड रूपये से 6,000 करोड कोविड-19 की दूसरी लहर का रुपये तक कर्ज का पुनर्गठन होगा। ज्यादा असर खुदरा और के कर्ज हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर पर करना पड़ रहा है? असर ज्यादा था और उसी के कोविड-2.0 का असर लंबा नहीं मुताबिक पुनर्गठन किया गया था। चलेगा और जून के अंत से कम बैंक बड़ी मात्रा में कर्ज के पुनर्गठन होना शुरू हो जाएगा। हम अपनी का अनुमान लगा रहे थे, लेकिन रणनीति नहीं बदल रहे हैं, जो हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। अक्टूबर, 2020 में मार्च, 2023 दूसरी लहर ने एमएसएमई पर और तक के लिए तय की गई है। वित्त असर डाला। ऐसे में ख़ुदरा संग्रह वर्ष 21 बैंकों के लिए समेकन का में लगे ग्राहकों पर केंद्रित है और तो ज्यादा स्रोतों से वसूली की

तिमाही में अर्थव्यवस्था में मांग बढेगी। संपादित अंश...

एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ा है, जहां क्या महामारी की वजह से कॉर्पीरेट की तुलना में छोटे आकार मध्यावधि योजनाओं पुनर्विचार कोविड-19 की पहली लहर का हम उम्मीद कर रहे हैं कि एमएसएमई पर होगी।

प्रभावित रहा है। मई में संग्रह में वर्ष था। अगर 2021-22 में उन्हें समर्थन देगा, जिससे कि उन्हें संभावना बनेगी।

प्रभावित हुई है। हम 2021-22 के सकें। लिए अपने अनुमान में बदलाव की वृद्धि दर 8 प्रतिशत रखने का बढ़ोतरी की जरूरत है?

बैंक की प्राथमिकताएं क्या है? बैंक विचार कर रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर सुधार हुआ और जून में यह और आतिथ्य, पर्यटन और उड्डयन उदद्योग को किस तरह से धन योजना के तहत 12,700 करोड मुहैया कराया जा सकता है। मध्याविध के हिसाब से सबसे 500 करोड़ रुपये से ज्यादा देने की ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा, वर्ना समस्या दीर्घकालीन हो जाएगी। ऐसे में मध्यावधि के हिसाब से हमारी योजना सबसे मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों और क्या कोई मदद मिलेगी?

दुनिया के कई इलाके खुल रहे हैं, कारोबार के हिसाब से इसका क्या मतलब होगा? दुबई और हॉन्गकॉन्ग में संभावनाएं दिख रही हैं। बैंक का ध्यान निर्यात

कारोबार में वृद्धि की उम्मीद देख भारत से निर्यात के लिए जो भी रहे हैं, भले ही पहली तिमाही ऑर्डर मिलें, वह उसे मूर्त रूप दे

नहीं कर रहे हैं, जून तिमाही के सरकार ने आपातकालीन परिणाम की घोषणा के समय हम क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में एक बार फिर स्थिति का आकलन बदलाव किया है। क्या इस करेंगे। 2021-22 के दौरान कर्ज योजना के तहत आवंटन में

ईसीएलजीएस के तहत अग्रिम ऋण की सीमा खत्म किए जाने के साथ ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों जैसे उड्डयन उद्योग को कर्ज देने का बेहतर अवसर है। पीएनबी ने रुपये कर्ज दिया है। इसके अलावा प्रक्रिया चल रही है। अभी भी इस योजना में पर्याप्त संभावना है।

सीबीआई बेहतर काम कर रही है। नीरव मोदी के मामले में भी सीबीआई के वकील ब्रिटेन के न्यायालयों को दस्तावेज दे रहे हैं जिससे उसका प्रत्यर्पण हो सके और यह अंतिम चरण में है। अगर प्रत्यर्पण के बाद पूछताछ होती है

परिणाम संख्या 4066

★★★☆☆

तक की संख्या भरें।

कोविड से बैक आफ महाराष्ट्र में बढ़ सकती है चूक

बैंक आफ महाराष्ट्र ने कहा है कि महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ी हैं और मंदी आई है। इससे आने वाले समय में ग्राहकों की चूक बढ़ सकती है। बैंक का कहना है कि यह आने वाले दिनों में कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करेगा। बैंक आफ महाराष्ट्र ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक और भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत उतार चढ़ाव रहा है, क्योंकि महामारी का प्रसार जारी है। *एजेंसियां*

बीएस सुडोकू 4067

7 2 8 6 5 9 8 3 4 2 9 6 9 4 8

6 5 8 7 1 5 2 9 4 6 7 1 9 4 2 6 5 8 3 8 5 2 3 8 7 1 6 9 4 8 4 6 5 9 3 2 1 7 9 6 4 2 1 7 3 5 8 2 3 8 9 4 5 7 6 1 1 7 5 6 3 8 4 2 9 कैसे खेलें? मध्यम हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ